कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
कोच्ची -15
(कार्मिक एवं प्रशासन विभाग)

सं. पीएण्डए /6(137)/20 15 जुलाई 2020

शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत तकनीशियन (वोकेशनल) / ट्रेड शिक्षुओं की नियुक्ति हेतु अधिसूचना

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरत्न कंपनी शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत **एक साल की** शिक्षुता प्रशिक्षण केलिए योग्य वोकेशनल/ आईटीआई धारकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है।

I. क. **श्रेणी – I तकनीशियन (व्यवसायिक) शिक्षु :-**

क्र.सं.	शाखा	सीटों की संख्या	प्रति महीने वृत्तिका
1	लेखा विधि और कर- निर्धारण	1	₹ 9,000/-
2	ग्राहक संबंध प्रबंधन	2	
3	इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी	1	
4	खाद्य और भोजनालय प्रबंधन	3	
5	बेसिक नर्सिंग और पालिएटीव केयर	1	

ख. **श्रेणी – II ट्रेड शिक्षु:-**

क्र.सं.	शाखा	सीटों की संख्या	प्रति महीने वृत्तिका
1	इलेक्ट्रीशियन	47	₹ 8,000/-
2	फिट्टर	36	
3	वेल्डर	47	
4	मशीनिस्ट	10	
5	इलेक्ट्रॉनिक मेकानिक	15	
6	इन्स्ट्रूमेंट मेकानिक	14	
7	ड्राफ्ट्समैन (मेकानिक)	6	
8	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	4	
9	पेन्टर (सामान्य)	10	
10	मेकानिक मोटर वाहन	10	
11	शीट मेटल वर्कर	47	
12	शिपराइटवुड (कार्पेन्टर)	20	
13	मेकानिक डीज़ल	37	
14	फिट्टर पाइप (प्लंबर)	37	
15	रेफ्रिजिरेशन और एयर कंडीशनिंग मेकानिक	10	

II. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :**

क. **श्रेणी – I तकनीशियन (व्यवसायिक) शिक्षु:-**

संबंधित पेशे में व्यवसायिक उच्च माध्यमिक शिक्षा (वीएचएसई) में उत्तीर्ण।

ख. **श्रेणी – II ट्रेड शिक्षु:-**

संबंधित ट्रेड के आईटीआई में उत्तीर्ण। निर्दिष्ट ट्रेड जो शिक्षुता प्रशिक्षण में भाग लेने केलिए अनुमोदित है, में प्रमाणपत्र/ अनंतिम राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी)।

ग. किसी भी निर्धारित योग्यताओं के समतुल्य योग्यताएं रखनेवाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तुल्यता प्रमाण पत्र अपलॉड करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं की जाएगी।

III. **आयु:** आयु सीमा शिक्षुता नियमों के अनुसार अनुवर्तित करेगा।

IV. **रिक्तियों का आरक्षण**: अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछडे वर्ग (अपिव)/ ईडब्ल्यूएस/ बैंचमार्क दिव्यांगजन उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) को लागू आरक्षण पर भारत सरकार के निदेशों को सख्ती से अनुवर्तित करेगा।

V. **न्यूनतम शारीरिक योग्यता**: शिक्षु नियम 1992 के खंड 4 में निर्धारित अनुसार और इसका संशोधन यदि कोई हो तो ।

VI. **प्रशिक्षण की अवधि**: शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक साल केलिए होगी।

VII. **पूर्व प्रशिक्षण**: उम्मीदवार जो पहले ही या वर्तमान में किसी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र या निजी औद्योगिक संगठन में शिक्षुता अधिनियम 1961 के अधीन शिक्षुता पा चुका है या पा रहा है, वे आवेदन करने केलिए योग्य नहीं हैं।

VIII. **चयन की प्रक्रिया:**

A. केवल केरल में अधिवासित उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। संबंधित शाखाओं केलिए मूल निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन केलिए उम्मीदवारों को लघुसूचीगत किया जाएगा। यदि निर्धारित योग्यता में एक से अधिक उम्मीदवार द्वारा समान अंक प्रतिशत प्राप्त किए जाते हैं, तो, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता तय की जाएगी ।

B. चयन के पूर्व प्रमाणपत्र सत्यापन केलिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सत्यापन केलिए विधिवत् हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की मुद्रित प्रति (एकमात्र पंजीकरण संख्या के साथ), आयु, योग्यता, जाति, दिव्यांगजता (यदि कोई हो) आदि की ओर मूल प्रमाणपत्र और इन प्रमाणपत्रों की स्वयं-साक्ष्यांकित प्रतियां प्रस्तुत करना चाहिए और इन मूल प्रमाणपत्रों के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार की जाएगी । मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होने के मामले में, उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

C. उम्मीदवार जो सफलतापूर्वक प्रमाणपत्र सत्यापन पूरा कर लेते हैं, उन्हें चिकित्सा योग्यता के अधीन, मेरिट/आरक्षण के क्रम में अधिसूचित सीटों के सामने चयन केलिए अस्थायी रूप में विचार किया जाएगा ।

IX. **यात्रा भत्ता:** शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं हैं।

X. **आवास:** शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान सीएसएल द्वारा आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

XI. **आवेदन शुल्क:**

शून्य

XII. <u>आवेदन का पंजीकरण औप प्रस्तुति :</u>

क. <u>आवेदन कैसे करें</u> :

(i) ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक को हमारे वेबसाइट **www.cochinshipyard.com (कैरियर पृष्ठ)** में दिए यूज़र मैनुवल को पढना चाहिए। **<u>आवेदन में दो चरण है- एसएपी ई-भर्ती पोर्टल में एक बार पंजीकरण और लागू सीट के सामने दिए आवेदन को प्रस्तुत करना।</u>** आवेदक एक से अधिक आवेदन न प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किया आवेदन अंतिम होगा।

(ii) आवेदक, जो अधिसूचित अपेक्षाएं पूरा करते हैं, वे एक बार पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत करना है। हमारे वेबसाइट www.cochinshipyard.com (कैरियर पृष्ठ) में ऑनलाइन के ज़रिए दिनांक 15 जुलाई 2020 से 04 अगस्त 2020 तक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध होगी। **<u>सीधे या अन्य किसी प्रकार में प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।</u>**

(iii) **<u>आवेदन प्रस्तुत करने केलिए ऑनलाइन अपलॉड किए जाने वाले दस्तावेज़:</u>** ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के सबूत में सभी प्रमाणपत्र और हाल ही में लिए पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलॉड करने केलिए सिस्टम में तैयार रखना चाहिए।

(iv) **<u>आवेदक यह सुनिश्चित करें कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्रों और हाल ही में लिए पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलॉड किया है, यदि असफल हो जाए तो, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं की जाएगी और रद्द की जाएगी।</u>**

(v) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही रूप में भरा गया है और आवेदन सफल रूप से प्रस्तुत किया गया है। किसी भी भाग में बेकार विवरणों को प्रस्तुत करना आपका आवेदन अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।

(vi) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी तरह से आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया नोट करें कि अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vii) **ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन करने के बाद, आवेदक अपने संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा प्रजनित एकमात्र पंजीकरण संख्या के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की एक सॉफ्ट कॉपी/ प्रिंटआउट लें। इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन आवेदन सफल रूप में प्रस्तुत करने पर ही एकमात्र पंजीकरण संख्या प्राप्त किया जाएगा।** ऑनलाइन आवेदन के पंजीकृत संख्या को सीएसएल के साथ पत्राचार के समय दिखाना चाहिए।

(viii) एसएपी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के ज़रिए आवेदन देने केलिए, वेबसाइट **दिनांक 15 जुलाई 2020 से 04 अगस्त 2020 तक** प्रकार्यात्मक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **04 अगस्त 2020** है। <u>अंतिम तिथि पर वेबसाइट में भारी भीड़ दूर करने केलिए, जो आवेदन की गैर- प्रस्तुति केलिए कारण हो सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सीएसएल वेबसाइट में लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले ही आवेदनों को प्रस्तुत करें।</u> ***आवेदन की अंतिम तिथि पर आवेदन करने वालों को अंतिम तिथि पर 1700 बजे के बाद एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/ तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।***

XIII. <u>सामान्य</u>

(i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पहले यह सुनिश्चित करें कि वे पदों केलिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता की अपेक्षाएं पूरा करते हैं।**

(ii) शिपयार्ड को उनके आवेदन प्रपत्र में सूचितानुसार शैक्षिक योग्यता/अनुभव/ अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के सबूत में उम्मीदवारों से अन्य कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ी सबूत मांगने का अधिकार है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना एवं उत्तर ईमेल **apprenticeship@cochinshipyard.com** द्वारा होना चाहिए। फिर भी, कोचीन शिपयार्ड निर्धारित तिथि एवं समय पर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/ गैर- प्राप्ति केलिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने पर, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और आगे कोई पत्राचार इस संबंध में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

(iii) अपात्रता के मामले में उम्मीदवारी के निरसन के संबंध में पत्राचार पर नहीं विचार किया जाएगा।

(iv) बुलावा पत्र लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उन्हें ईमेल/ एसएमएस/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.com द्वारा बुलावा पत्र डाउनलॉड करने केलिए सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची एसएमएस/ ईमेल/ सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा।

(v) केवल ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति और बुलावा पत्र जारी करना उम्मीदवार की उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं देगा या पात्रता मानदंड पूरा करने की अभिस्वीकृति के रूप में अनुमान नहीं किया जा सकेगा।

(vi) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन और यदि लागू हो, तो जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होगी।

(vii) शिक्षुता अवधि के पूरा होने पर, सीएसएल को ऐसे शिक्षुओं को रोज़गार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी और न ही शिक्षुता के पूरा होने के आधार पर एक शिक्षु रोज़गार केलिए दावा कर सकता है ।

(viii) प्रतीक्षा सूची सभी विषयों हेतु बनाए रखा जाएगा और इसमें शामिल होने की तिथि भीतर रैंक सूची से कोई उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण होनेवाली रिक्तता की स्थिति में संचालित की जाएगी जैसा कि उम्मीदवार को जारी किए गए नियुक्ति के प्रस्ताव में निर्धारित किया गया है या जहाँ एक उम्मीदवार शिक्षुता प्रशिक्षण केलिए शामिल हो जाता है और सीएसएल में शामिल होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या पद से इस्तीफा दे देता है। प्रतीक्षा सूची की वैधता, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने तक या उम्मीदवारों को जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव में निर्धारित नियुक्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, जब तक कि उस पद केलिए नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तक होगी । ऊपर बताई गई रिक्ति को एक ताजा रिक्ति के रूप में नहीं माना और इस अधिसूचना के सामने भरे गए पदों की वास्तविक संख्या किसी भी परिस्थिति में इस अधिसूचना में इंगित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(ix) उपरोक्त या किसी अन्य शर्तों के बावजूद कोचीन शिपयार्ड को अधिसूचित रिक्तियां न भरने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा अधिसूचित रिक्तियों को भरने हेतु रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड को यदि अपेक्षित है तो, सूचना के बिना अथवा उसके लिए कोई भी कारण नियत किए बिना भर्ती प्रक्रियाएं सीमित करने/ बदलने/ रद्द करने / परिवर्तन करने का अधिकार है।

(x) यदि किसी स्थिति में, कोई सूचित कार्य असत्य/ गलत पाया गया या उम्मीदवार योग्यता अपेक्षाओं को पूरा न करते हैं तो, बिना सूचना के उम्मीदवारी/ नियुक्ति, रद्द / अस्वीकृत की जाएगी।

(xi) इस विज्ञापन से व्युत्पन्न किसी दावा अथवा विवाद के संबंध में किसी वैध कार्रवाई और/ अथवा इस संबंध में आवेदन केवल एर्णाकुलम में अधिकार क्षेत्र होने वाले न्यायालय / ट्रिब्यूनल/मंच में संस्थापित कर सकता है और ऐसे न्यायलय व प्राधिकरण को एकमात्र तथा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होगा।

(xii) विज्ञापन में कोई आशोधन, संशोधन अथवा परिवर्धन केवल कोचीन शिपयार्ड वेबसाइट में दी जाएगी।

(xiii) आगे अन्य कोई स्पष्टीकरण केलिए, कृपया ईमेल **apprenticeship@cochinshipyard.com** के ज़रिए संपर्क करें।

XIV. <u>महत्वपूर्ण तिथियां:</u>

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत	:	**15.07.2020**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	**04.08.2020**

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"
"केवल भारतवासी आवेदन करें।"

ह/-
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. व प्रशिक्षण)